



2026:AHC:164137

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7890

वर्ष 2026

वसीम

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कपिल त्यागी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. मैंने आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से आपराधिक वाद संख्या 143/2026 बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 125, 109(1); थाना-काकोरे, ज़िला-बुलंदशहर में दायर की गई है। इसमें अग्रिम ज़मानत की मांग की गई है क्योंकि आवेदक को इस मामले में अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्राथमिकी 14 नामज़द आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है। दो घायल व्यक्तियों को जो चोटें आई हैं, वे आरोपियों की संख्या के अनुपात में नहीं हैं। मामले के दो अलग-अलग पक्ष हैं और आवेदक की तरफ से, एक आरोपी हनीफ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें दो घायल व्यक्ति भी आरोपी हैं। यह भी कहा गया है कि इसी तरह के मामले में सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



आरोपियों फ़रमान, हसीन, मुकीम, निज़ाम और सैफू को इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 18678/2026 में नियमित ज़मानत दी है। आवेदक का मामला भी उसी तरह का है। आवेदक का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें मौजूदा मामले सहित छह मामले शामिल हैं, हालाँकि उसे पहले कभी सज़ा नहीं हुई है।

4. एजीए ने ज़मानत की मांग का विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया कि आवेदक का मामला उन सह-आरोपियों के मामले जैसा ही है जिन्हें इस न्यायालय ने नियमित ज़मानत दी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।

6. हालाँकि आवेदक के नाम छह आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन आपराधिक वाद संख्या 409/2025 में इस न्यायालय ने आपराधिक रिट याचिका संख्या 27163/2025 में उसे सुरक्षा दी है। दूसरे मामले, यानी आपराधिक वाद संख्या 215/2025 में, आवेदक का दावा है कि उसे कोई समन या सूचना नहीं भेजी गयी है, फिर भी आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। अन्य मामलों में वह ज़मानत पर है और आपराधिक वाद संख्या 100/2021 को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। अपने आपराधिक इतिहास के बारे में आवेदक द्वारा दी गई सफाई का सरकारी अधिवक्ता ने खंडन नहीं किया है।

7. प्रथम दृष्टया, प्राथमिकी में नामजद आरोपियों की संख्या और घायल व्यक्ति को लगी चोटों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को फंसाया गया है। घायलों ने अपने बयान में आवेदक का नाम नहीं लिया है और केवल सामान्य रूप से यह कहा है कि एक खास परिवार के लोगों ने उन पर हमला किया था।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम ज़मानत देना उचित समझता हूँ।

9. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार किया जाता है।**

10. यदि आवेदक-वसीम को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और ज़मानत भरने पर उक्त आपराधिक वाद में तुरंत अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं;
11. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो संबंधित न्यायालय ज़मानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

5 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय